(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 366–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–11–14 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, राज.परि.टी.टी. नगर वृत्त भोपाल प्रकरण कमांक 55/अ–12/14–15.

रामचन्द आत्मज अट्ठूमल सीतलानी
निवासी 21, अमीरगंज
ईदगाह हिल्स, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– राहुल पचौरी आत्मज स्व प्रभुदयाल पचौरी
2– श्रीमती सरोज पचौरी पत्नी व्ही.एन. पचौरी
3– श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी अशोक शर्मा
निवासीगण द्वारा राहुल पचौरी ई–8/382
चाणक्य अपार्टमेन्ट फेस–2
त्रिलोचन नगर, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, राज.परि.टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–11–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बावडिया कला स्थित भूमि सर्वे कमांक 56 ख 2/12 एवं सर्वे कमांक 56 ख 2/4 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, राज.परि.टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 55/अ–12/14–15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन

कराया जाकर दिनांक 12–11–14 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है एवं आवेदक के भूखण्ड कमांक 13 के 1445 वर्गफीट भाग को अनावेदकगण के भूखण्ड कमांक 12 में दर्शा दिया गया है, जो कि न्यायसंगत कार्यवाही नहीं है । यह भी कहा गया कि सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन स्थाई सीमा चिन्हों को आधार मानकर नहीं करते हुए भौतिक सत्यापन गोदा बिन्दु कायम करते हुए नक्शे में अंकित मेड़ अनुसार सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन सम्बन्धी नियमों का उचित रूप से पालन नहीं कर सरसरी तौर पर एक जगह बैठकर सीमांकन किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 1991 आर.एन. 236, 1989 आर.एन. 194, 1992 आर.एन. 400, 1988 आर.एन. 29, 1985 आर.एन. 336, 1988 आर.एन. 57 एवं 1995 आर.एन. 32 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत भौतिक सत्यापन करते हुए स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक को सीमांकन में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह अपनी भूमि का सीमांकन करा सकता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । पटवारी नक्शे में बटांकन होना परिलक्षित नहीं होता है, अतः सीमांकन की कार्यवाही किस आधार पर की गई है, यह स्पष्ट नहीं है । सीमांकन प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही गोदा बिन्दु कायम करके की गई है, स्थायी सीमा चिन्ह या

चान्दे से नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत नहीं है, इसलिए राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, राज.परि.टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–11–14 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर